अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

भूहदबंदी वाद सं0– 01/2005

राजा भगत

बनाम

बिहार सरकार

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
15.09.2015	यह वाद राजा भगत,वल्द स्व0 जगदेव भगत, साकिन अनवल, थना कोपा,जिला सारण के द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 09.02.05 के आलोक में आरंभ हुआ। आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ माननीय राजस्व पर्षद,पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि भूहदबंदी वाद संख्या 01/75–76 में आवेदक राजा भगत, वल्द स्व0 जगदेव भगत, साकिन अनवल, थना कोपा,जिला सारण के द्वारा बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 22 के अंतर्गत आवेदन किया गया, जिसे दिनांक 24.07.1993 को समाहर्ता,सारण के द्वारा सुनवाई के उपरांत अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात् विद्वान आयुक्त,सारण प्रमंडल,छपरा के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया,जिसे दिनांक 23.01.1996 को सुनवाई के उपरांत अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विरूद्ध माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के यहां रिविजन संख्या 16/96 दाखिल किया गया, जिसमें 16/96 सहित अन्य कई वाद में दिनांक 29.03.1997 को एक साथ आदेश पारित किया गया। आवेदक के द्वारा इसी आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। इस न्यायालय के ज्ञापांक 695,दिनांक 26.04.2005 के द्वारा दिनांक 11.04.2005 को सुनवाई के उपरान्त अंचल अधिकारी,जलालपुर से दखल कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, जलालपुर के पत्रांक 462, दिनांक 10.12.2005 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम पियानो, थाना संख्या 200 के अंतर्गत खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1552,रकबा 1–5–0 पर राजा भगत, वल्द स्व0 जगदेव भगत, साकिन अनवल, थाना कोपा,जिला सारण का वर्तमान में कब्जा है और इसके लगभग संपूर्ण रकबा का पर्चा चन्द्रमा बैठा, पे0 हाकिम बैठा को पूर्व में ही प्राप्त है। दिनांक 06.08.2015 को मोहन बैठा, चन्द्रमा बैठा, बीर बहादुर बैठा एवं जगलाल बैठा के द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से List of documents के साथ गृह स्थल तथा भू बन्दोबस्ती के पर्चा की प्रति संलग्न	

कर इन्टरवेनर के रूप में दाखिल किया गया। पुनः दिनांक 20.08.2015 को अपनी हाजरी दी गई।

दिनांक 15.09.2015 को आवेदक, इन्टरवेनर की हाजरी प्राप्त हुई। दोनों पक्ष अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार,पटना के द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 के कंडिका(2) में रिविजन वाद संख्या 16/96(राजा भगत बनाम सरकार) मामले में आदेश पारित किया गया है– "The collector of the District is directed that the land in the Possession of the petitioner should be settled with him as a raiyat u/s 22." आवेदक के द्वारा साकिन पियनो, थाना संख्या 200, खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1552, रकबा 1–5–0 पर 1940 से बटाईदार के रूप में अपना दावा किया गया है।

अंचल अधिकारी, जलालपुर के पत्रांक 462,दिनांक 10.12.2005 के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में आवेदक राजा भगत का कब्जा है, लेकिन इसके संपूर्ण रकबा का पर्चा चन्द्रमा बैठा पे0 हाकिम बैठा को पूर्व से प्राप्त है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय,पटना के द्वारा एक अन्य वाद झुलन यादव बनाम सरकार 1999(3) PLJR 405 में आदेश पारित किया गया कि बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 27 के अंतर्गत तब तक किसी को पर्चा नहीं दिया जा सकता है, जब तक इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत संबंधित भूमि से संबंधित कोई मामला विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामला के विचाराधीन रहते एवं प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का कब्जा रहते हुए भी धारा 27 के अंतर्गत चन्द्रमा बैठा पे0 हकीम बैठा एवं अन्य को पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई की गई है जो विधिसम्मत नहीं है एवं रदद् किए जाने योग्य है।

इंटरवेनर के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि CPC 1908 के नियम 10(2) के आलोक में उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया है। प्रश्नगत जमीन का पर्चा अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्यिों को सरकारी प्रावधान एवं योजना के अंतर्गत निर्गत किया गया है। अतः प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से इंटरवेनर के रूप में इस वाद में उनका नाम जोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के द्वारा आवेदक राजा भगत के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। यह सही है कि बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 27 के अंतर्गत तब तक किसी व्यक्ति को पर्चा नहीं निर्गत किया जा सकता है, जब तक धारा 22 के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति का आवेदन विचाराधीन हो, जिसका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हो। ऐसी परिस्थिति में, प्रश्नगत भूमि का पर्चा जिस व्यक्ति को निर्गत किया गया है, उसके निर्गत पर्चा को रदद् करके आवेदक राजा भगत को उसका रैयत धोषित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता,सारण,छपरा को आदेशित किया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के वाद संख्या 16/96 में अपने पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 में आवेदक राजा भगत, पिता स्व0 जगदेव भगत,साकिन अनवल, थाना कोपा, जिला सारण, को ग्राम पियनो, थाना संख्या 200, खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1552, रकबा 1–5–0 का रैयत धोषित

करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अंचल अधिकारी,जलालपुर के पत्रांक 462, दिनांक 10.1 2005 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि वर्तमान में आवेदक राजा भगत के दखल कब्जा में है एवं इसके लगभग संपूर्ण रकबा का पर्चा चन्द्रमा बैठा, पिता हाकिम बैठा को पूर्व में ही प्राप्त है।

माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 के आलोक में **आवेदक राजा भगत,वल्द स्व0 जगदेव भगत, साकिन अनवल, थाना कोपा,जिला सारण को ग्राम पियनो, थाना संख्या 200, खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1552, रकबा 1-5-0 का रैयत घोषित किया जाता है।** आवेदक के द्वारा बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 22 के अंतर्गत दाखिल आवेदन के विचाराधीन रहते इस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पर्चा निर्गत करना विधि विधिसम्मत नहीं था। अतः **प्रासंगिक भूमि का चन्द्रमा बैठा, पिता हाकिम बैठा को पूर्व में निर्गत पर्चा को रद्द किया जाता है।**

अपर समाहर्ता,सारण,छपरा को निर्देश है कि उक्त आदेश का अनुपालन करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

15/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 505 /न्या0, दिनांक 24.9.15

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्ता,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी,जलालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0ई0सी0,सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
24/9/15